

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

प0.5(1)चिस्वा/2/2023/1464

जयपुर, दिनांक

आदेश

डा0 गीता सामोता, चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, फतेहपुर शेखावटी, सीकर के स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के प्रकरण में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निस्तारण होने के उपरांत उनकी स्वयं की प्रार्थना एवं निदेशालय की अनुशंषा पर डॉ समोता की अनुपस्थिति अवधि दिनांक 19.05.2019 से 28.02.2021 तक का असाधारण अवकाश एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज0, जयपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, फतेहपुर शेखावटी, सीकर।
3. डा0 गीता सामोता, चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, फतेहपुर शेखावटी, सीकर।
4. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव

Signature valid

Digitally signed by Nimsha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.09.18 14:49:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4711594

